

(1)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर - राज0
पीठासीन अधिकारी - श्री धीरेन्द्र सिंह आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या

दायर दिनांक

निर्णय दिनांक

222/18

9/8/2018

3.10.2019

उनवान

1. औम प्रकाश पुत्र श्री मुरलीधर जाति ब्राहमन निवासी नांगलियावास तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

वादी

बनाम

1. रमेशचन्द्र पुत्र श्री मुरलीधर
2. रामवतार उर्फ रामोतार पुत्र श्री मुरलीधर जाति ब्राहमन निवासी नांगलियावास तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
3. सन्तरा पत्नी मुरलीधर
4. रेशमी
5. कमला
6. सुलोचना पुत्रीयान मुरलीधर जाति ब्राहमन निवासी नांगलियावास तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
7. सुमित्रा पत्नी परमानन्द
8. मुकेश पत्नी भरतसिंह कोम अहीर निवासी कालाका तह0 व जिला रेवाडी हरि0।
9. बी.आर.के.जी.बी. शाखा बीबीरानी जरिये शाखा प्रबन्धक बीबीरानी तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
10. उप पंजियक हरसौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
11. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार साहब लैण्ड होल्डर भूमी धारी कोटकासिम जिला अलवर राज0।

प्रतिवादीगण



उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

दावा तकासमा आराजी मय हुकम ईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन 1955
उपरिस्थित -

1. श्री चिरंजीव राव अभिभाषक वादी
2. श्री देवेन्द्र कुमार अभिभाषक प्रतिवादी सं01

वादी ने एक वाद मय अभिभाषक इस न्यायालय में उपरिस्थित होकर दावा तकासमा आराजी मय हुकम ईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी हाल खसरा न0 108/0-19, 112/2-16, 113/3-16, 114/2-12, 115/1-04, 116/1-11, 241/0-02, 242/0-03, 278/0-06 बीघा कुल किता 9 कुल रकबा 14-09 बीघा दर्ज खाता स0 34, 57/3-17, 280/0-13 कुल किता 2 कुल रकबा 7-10 बीघा दर्ज खाता 35, 274/1-12, 279/2-15 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 4-07 दर्ज खाता स0 36 वाके ग्राम नांगलसालिया तहसील कोटकासिम म विवादित आराजीयात हम वादी व प्रतिवादीगण स0 1 लगा0 8 की सामलाती कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर हम सामलात में काबिज व दाखिल होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। अबट आराजी है जिसके सामलाती काश्त को लेकर हम पक्षकारान के मध्य आये रोज तनाजा पैदा होता रहा है इसलिये हम विवादित आराजी का बाई मीटस एण्ड बाउडस तकासमा कराने के अधिकारी हैं। मिन वादीगण ने प्रतिवादीगण से तकासमा कराने को कहा तो वो साफ इनकार हो गये इसलिये विवादित आराजीयात का बाई मीटस एण्ड बाउडस तकासमा कराने का वादी अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण स01,2,5,6 ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसमें अंकित किया कि विवादित आराजीयात सामलाती खातेदारी की दर्ज है। परन्तु बाहमी बटवारा मे आयी हुई आराजीयात पर मिन प्रतिवादीगण काबिज व दाखिल होकर काश्त करते चले आ रहे हैं अगर आराजीयात का तकासमा कर अलग


उपरकण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

(3)

खाता कायम किया जाता है तो गिन प्रतिवादीगणों को कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादीगण स07व 8 ने भी विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की और कहा कि यदि विवादित आराजी का तकासमा किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं हैं।

वाद पत्र में दिनांक 6/8/2019 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी और तहसीलदार कोटकासिम को बाई मीटस एण्ड वाउण्डस तकासमा कर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के लिये आदेशित किया गया। तहसीलदार कोटकासिम ने विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय को पेश किये गये।

विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में कहा कि तहसीलदार कोटकासिम से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव सही है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री कर दिया जाये।

विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया एवं तहसीलदार कोटकासिम से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर गौर किया। विद्वान अधिवक्ताओं ने इस विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की है इसलिये वाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।


अत वादी का वाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव इस कदर डिक्री किया जाता है कि ओमप्रकाश पुत्र मुरलीधर जाति ब्रहमन साकिन देह खातेदार राहिन बी.आर.के.जी.बी. बीबीरानी खसना न0 279/1/1-18, 116/1-11, 241/0-02, 280/0-13, 274/1/0-03, 114/2-12 बीघा कुल कित्ता 6 कुल रकबा 6-19 बीघा वाके ग्राम नांगलसालिया त0 कोटकासिम रहेगी। रमेश पुत्र मुरलीधर जाति ब्राहमण साकिन देह खातेदार के हिस्से में खसरा न0 57/3-17, 112/2-16, 278/0-06 बीघा कुल कित्ता 3 कुल रकबा 6-19 वाके ग्राम नांगलसालिया त0 कोटकासिम रहेगी। रामोतार उर्फ रामावतार पुत्र मुरलीधर कौम ब्राहमण साकिन देह खातेदार के हिस्से में 113/3-16, 115/1-04, 242/1-03


उपसुण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

(4)

बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 6-03 बीघा वाके ग्राम नांगलसालिया तह0 कोटकासिम की रहेगी। रामोतार पुत्र मुरलीधर 17/19 हि0, ओमप्रकाश पुत्र मुरलीधर 1/19 हि0, रमेश पुत्र मुरलीधर 1/19 हि0 कौम ब्राहमण साकिन देह खातेदार ओमप्रकाश राहिन बी.आर.के.जी.बी. बीबीरानी आराजी ख0न0 108 रकबा 0.19 हैक्टर वाके ग्राम नांगल सालिया की रहेगी। ओमप्रकाश, रामौतार, रमेश पुत्रांन मुरलीधर 3/17 हिस्सा रेशमी, कमला, सुलोचना पुत्रीयान मुरलीधर 14/17 हिस्सा कौम ब्राहमण साकिन देह खातेदार ख0न0 279/2/0.17 हैक्टर वाके ग्राम नांगलसालिया रहेगी। सुमित्रा पत्नि परमानन्द, मुकेश पत्नि भरत सिंह बह0 हिस्सा बराबर कौम अहीर निवासी कालाका तहसील व जिला रेवाड़ी (हरि0) खातेदार ख0न0 274/2/1.09 हैक्टर वाके ग्राम नांगलसालिया तहसील कोटकासिम रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.10.2019 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(धीरेन्द्र सिंह) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

(पर्चा डिक्री)

(1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर – राज0
पीठासीन अधिकारी – श्री धीरेन्द्र सिंह आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या
222 / 18

दायर दिनांक
9 / 8 / 2018

निर्णय दिनांक
03.10.2019

उनवान

1. औम प्रकाश पुत्र श्री मुरलीधर जाति ब्राहमन निवासी नांगलियावास तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

वादी

बनाम

1. रमेशचन्द पुत्र श्री मुरलीधर
2. रामवतार उर्फ रामोतार पुत्र श्री मुरलीधर जाति ब्राहमन निवासी नांगलियावास तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
3. सन्तरा पत्नी मुरलीधर
4. रेशमी
5. कमला
6. सुलोचना पुत्रीयान मुरलीधर जाति ब्राहमन निवासी नांगलियावास तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
7. सुमित्रा पत्नी परमानन्द
8. मुकेश पत्नी भरतसिंह कोम अहीर निवासी कालाका तह0 व जिला रेवाडी हरि0।
9. बी.आर.के.जी.बी. शाखा बीबीरानी जरिये शाखा प्रबन्धक बीबीरानी तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
10. उप पंजियक हरसौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
11. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार साहब लैण्ड होल्डर भूमी धारी कोटकासिम जिला अलवर राज0।


उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

प्रतिवादीगण

दावा तकासमा आराजी मय हुकम ईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन 1955
उपरिथत -

1. श्री चिरंजीव राव अभिभाषक वादी
2. श्री देवेन्द्र कुमार अभिभाषक प्रतिवादी सं01


अत वादी का वाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव इस कदर डिक्री किया जाता है कि ओमप्रकाश पुत्र मुरलीधर जाति ब्रह्मण साकिन देह खातेदार राहिन बी.आर.के.जी.बी. बीबीरानी खसना न0 279/1/1-18, 116/1-11, 241/0-02, 280/0-13, 274/1/0-03, 114/2-12 बीघा कुल किता 6 कुल रकबा 6-19 बीघा वाके ग्राम नांगलसालिया त0 कोटकासिम रहेगी। रमेश पुत्र मुरलीधर जाति ब्राह्मण साकिन देह खातेदार के हिस्से में खसरा न0 57/3-17, 112/2-16, 278/0-06 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 6-19 वाके ग्राम नांगलसालिया त0 कोटकासिम रहेगी। रामोतार उर्फ रामावतार पुत्र मुरलीधर कौम ब्राह्मण साकिन देह खातेदार के हिस्से में 113/3-16, 115/1-04, 242/1-03 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 6-03 बीघा वाके ग्राम नांगलसालिया तह0 कोटकासिम की रहेगी। रामोतार पुत्र मुरलीधर 17/19 हि0, ओमप्रकाश पुत्र मुरलीधर 1/19 हि0, रमेश पुत्र मुरलीधर 1/19 हि0 कौम ब्राह्मण साकिन देह खातेदार ओमप्रकाश राहिन बी.आर.के.जी.बी. बीबीरानी आराजी ख0न0 108 रकबा 0.19 हैक्टर वाके ग्राम नांगल सालिया की रहेगी। ओमप्रकाश, रामोतार, रमेश पुत्रांन मुरलीधर 3/17 हिस्सा रेशमी, कमला, सुलोचना पुत्रीयान मुरलीधर 14/17 हिस्सा कौम ब्राह्मण साकिन देह खातेदार ख0न0 279/2/0.17 हैक्टर वाके ग्राम नांगलसालिया रहेगी। सुमित्रा पत्नि परमानन्द, मुकेश पत्नि भरत सिंह बह0 हिस्सा बराबर कौम अहीर निवासी कालाका तहसील व जिला रेवाड़ी (हरि0) खातेदार ख0न0


अपेक्षित अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

(3)

274/2/1.09 हैक्टयर वाके ग्राम नांगलसालिया तहसील कोटकासिम रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

निर्णय आज दिनांक 03.10.2019 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(धीरेन्द्र सिंह) R.A.S
उपस्थित अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)
कोटकासिम (अलवर)